न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०–185/2022–23

छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(1)b

वासुदेव महतो बनाम अक्षय महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
18/10/23		

विक्रेता का नाम एवं पता :– वासुदेव महतो पिता–स्व० देवगुण महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड।

क्रेता का नाम एवं पताः– अक्षय महतो पिता–लहरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड।

विद्वान अधिवक्ता का नाम :– श्री परमेश्वर महतो

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–06/03/2023 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत क्रेता–अक्षय महतो पिता–लहरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
महेशपुर	सोनाहातु/ 82	14	348	13डी०	लहरू महतो	लखन महतो	रंजीत महतो	विपतारण महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधरण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–162(ii) दिनांक–19/05/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख के साथ संलग्न जाँच प्रतिवेदन निम्नवत हैः–

1. प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत का नाम धरमा महतो वगैरह दर्ज है।
2. खतियान रैयत/पंजी–II रैयत विक्रेता के साथ संबंध पोता है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम लहरू महतो वगैरह पिता–सोहराई महतो के नाम दर्ज है। तथा रैयत के पास रकबा–15 एकड़ 30.5डी० भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी ऑनलाईन वर्ष–2022–23 तक वसूली गई है।
5. जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पोता है। तथा खरीदगी/ खतियानी भूमि के आधार पर जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि खतियानी है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता के पास अन्य खाते मिलाकर लगभग 15 एकड़ 17.50 भूमि शेष रह जायेगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित भूमि को पारिवारिक कार्य हेतू बिक्री कर रहे है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही समुदाय (कुरमी) जाति के अन्तर्गत आते है।
10. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवदेन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत विक्रेता–वासुदेव महतो पिता–स्व० देवगुण महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता–अक्षय महतो पिता–लहरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा किया गया है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–10/03/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता– वासुदेव महतो पिता–स्व० देवगुण महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता–अक्षय महतो पिता–लहरू महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, अंचल–राहे, जिला–राँची, झारखण्ड जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत दी जाती है। अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेगे।

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
महेशपुर	सोनाहातु/ 82	14	348	13डी०	लहरू महतो	लखन महतो	रंजीत महतो	विपतारण महतो

लेखपित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.01.08 14:01:37 +05:30
Location: 10.93.79.9